न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 71/2019 (2019/000429)

1. जावेद मिंया पुत्र निजामुद्दीन
2. मोहम्मद आबिद पुत्र श्री निजामुद्दीन
   जाति मुसलमान हाल निवासीदेवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला–अजमेर हाल निवासी नीलपरो की मस्जिद के पास बटवालान मोहल्ला वार्ड न. 40, टोंक जिला अजमेर

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 02.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कणोज तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम देवलियाखुर्द** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
9–11	120	2.35	नहरी 1
390–370	2246/177	1.62	बारानी 3

उक्त प्रार्थनापत्र में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग जावेदखां पुत्र निजामुद्दीन खां जरिये संरक्षक सरपरस्त माता रूकया तथा नाबालिग आवेद खां पुत्र निजामु खां जरिये संरक्षक सरपरस्त माता रूकया अंकित है। प्रार्थीगण वर्तमान में बालिग है तथा प्रार्थीगण का वास्तविक नाम सभी दस्तावेंजों में कमशः जावेद मियां पुत्र निजामुद्दीन तथा मोहम्मद आबिद पुत्र निजामुद्दीन अंकित है। प्रार्थीगण निजामुद्दीन के वारिसान है। प्रार्थीगण के राशनकार्ड,अंकतालिका,ग्राम पचांयत कणोज के सरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थीगण का नाम जावेद मियां पुत्र निजामुद्दीन तथा मोहम्मद आबिद पुत्र निजामुद्दीन अंकित है।राजस्व अधिकारियों /कर्मचारियों की गलती से अथवासहवन से जमाबन्दी में प्रार्थीगण का नाम नाबालिग जावेद खां पुत्र निजामुद्दीन खा जरिये संरक्षक सरपरस्त माता रूकया के स्थान पर जावेद मियां पुत्र निजामुद्दीन तथा मोहम्मद आबिद पुत्र निजामुद्दीन संशोधित जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि जावेद खां पुत्र निजामुद्दीन के स्थान पर जावेद मिया पुत्र निजामुद्दीन रूकया पत्नि निजामुद्दीन के स्थान पर रूकैया पत्नि पुत्र निजामुद्दीन एवं मोहम्मद आबिद एंव जावेद मियां का नाबालिग से बालिग मुताबिक आधार कार्ड 382009542591 रूकैया, 73045167560 जावेद मियां, 774401824264 मो.आबिद एंव ग्रा.प. के प्रमाण पत्र के आधार पर दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी स. 2072–75 खाता स. 9–11 एंव 390–370 में जावेद खां पुत्र निजामुद्दीन के स्थान पर जावेद मिया पुत्र निजामुद्दीन रूकया पत्नि निजामुद्दीन के स्थान पर रूकैया पत्नि पुत्र निजामुद्दीन एवं मोहम्मद आबिद एंव जावेद मियां का नाबालिग से बालिग दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार केकडी को दिये जाते है। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेंगें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 02.12.2021 को केम्प कणोज मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:39:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner